झारखण्ड लोक सेवा आयेाग
सर्कुलर रोड, रांची

प्रेस विज्ञप्ति

एत्द द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा –2016 की प्रारंभिक परीक्षा से संबद्ध अभ्यर्थियों के सूचनार्थ आयोग द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक परीक्षाफल के संबंध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं:–

1. झारखंड लोक सेवा आयोग ने सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त कोटिवार रिक्तियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी जिसके माध्यम से कोटिवार रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाना था। इस क्रम में विभिन्न कोटियों के 326 रिक्तियों के विरूद्ध 15 गुना संख्या एवं समान अंक वाले 5138 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है जो दिनांक 23.02.2017 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. विदित हो कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। वस्तुतः चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा के अंक जोड़े नहीं जाते। मेधासूची तैयार करने के लिए मुख्य परीक्षा एवं अंतर्वीक्षा के प्राप्तांकों का योग ही स्वीकार्य है और इन्हीं परीक्षाओं के लिए आरक्षण का लाभ देय है। प्रारंभिक परीक्षा द्वारा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थियों का चयन (shortlisting) किया गया है।
3. झारखंड सरकार की संकल्प संख्या 7052 दिनांक 17.08.2016 के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग ओ0एम0आर0 उत्तरपुस्तिका की स्कैन कर आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यरत है। निकट भविष्य में आयोग ओ0एम0आर0 उत्तरपुस्तिका का स्कैन कॉपी एवं प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों की सूचना आयोग के वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराएगा जिसमें खारिज किए गए ओ0एम0आर0 उत्तरपुस्तिका के संबंध में कारण भी संसूचित करेगा।
4. झारखंड लोक सेवा आयोग ने कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक सूचित नहीं किया है। जिन कोटियों में रिक्तियां कम थीं उन रिक्तियों के विरूद्ध कम अभ्यर्थी ही चयनित किए गए हैं जिसके कारण कतिपय कोटियों के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अधिक होने की संभावना है।
5. झारखंड सरकार ने मुख्य परीक्षा के लिए ओ0एम0आर0 आधारित उत्तरपुस्तिका को तकनीकी कारणों से अस्वीकृत नहीं किए जाने का निदेश निर्गत किया है। फिर भी आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोग में लाए गए ओ0एम0आर0 शीट में केवल दो सूचना के लिए गोले भरने का प्रावधान किया था यथा रौल नं0 एवं प्रश्नपत्र सीरीज ताकि त्रुटियों की संभावना क्षीण हो। आयोग ने सूचनाओं के विरूद्ध गोले कैसे भरे जाएं का निर्देश सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रवेशपत्र एवं प्रश्नपत्र के मुखपृष्ठ पर मुद्रित कर दिया था। इसके अलावा परीक्षा आयोजन के पूर्व विशेष प्रेस विज्ञप्ति देकर गोले भरने के संबंध में निर्देश निर्गत किया था एवं परीक्षा केन्द्रों पर भी सही ढंग से गोले कैसे भरे जाएं का निर्देश केन्द्र पर वीक्षकों के माध्यम से दिया गया था।
6. झारखंड लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो अभ्यर्थियों का हितोन्मुखी (candidate oriented) है। आयोग द्वारा परीक्षाफल तैयार करने से प्रकाशित करने तक पूरी सावधानी व निष्पक्षता बरती गयी है।

ह0/-
परीक्षा नियंत्रक
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।